**प्रेस नोट** **दिनांक 22.04.2026**

**जनपद मऊ पुलिस द्वारा थाना दक्षिण टोला, स्वाट/एसओजी व सर्विलांस टीम के संयुक्त प्रयास से रामपुर चकिया फ्लाई ओवर के पास से दिनांक 22.04.2026 को कुल 155 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद कीमत लगभग 250000/- ( दो लाख पच्चास हजार रुपये ) तथा घटना में प्रयुक्त 01 अदद कार व तीन अंतर्राज्यीय शातिर अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूपक कुमार के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर के मार्गदर्शन में विशेष टीमों का गठन कर लगातार सुरागरसी पतारसी, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग एवं मुखबिर की सूचना पर, दिनांक 22.04.2026 को प्राप्त सटीक मुखबिर सूचना के आधार पर थाना दक्षिण टोला पुलिस टीम द्वारा रामपुर चकिया फ्लाई ओवर के पास से घेराबंदी कर तीन अंतर्राज्यीय शातिर अभियुक्तों गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कार की पिछली सीट के नीचे अवैध शराब परिवहन हेतु बनाये गये स्थान में Signature 750 ml की 78 बोतल, Signature 375 ml की 42 बोतल, Signature 180 ml की 83 बोतल व BLENDERS PRIDE की 750 ml की 64 बोतल, BLENDERS PRIDE 375 ml की 46 बोतल कुल 155 लीटर अवैध अँग्रेजी शराब बरामद हूई, जिसकी बाजारू कीमत लगभग 250000 रू0 है

पूछताछ में बताये की वह यह शराब हरियाणा से लेकर आते है तथा बिहार में ले जाकर दुगने दामो पर बेच देते है, हर बार रास्ता बदल बदल कर जाते है तथा पकड़े जाने के डर से हर बार कार का नम्बर प्लेट बदल देते है। इस बार मऊ की तरफ से बिहार जाने के लिए निकले थे तथा शहर के बाहर बाहर से जाने की योजना थी।

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना दक्षिण टोला पर मु0अ0सं0 57/2026 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम व 318(4)/338/336(3)/340(2) बी0एन0एस0 अभियोग पंजीकृत किया गया है

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम –**

1. विनीत कुमार पुत्र नरेश भगत निवासी बड़सम खपैती थाना सौर बाजार जनपद सहरसा बिहार
2. नितीश कुमार पुत्र दिलीप चौधरी निवासी मुरादपुर थाना परवत्ता जनपद खगड़िया बिहार
3. क्रान्ति कुमार पुत्र कौशल भगत निवासी श्रीपुरा थाना मधेपुरा जनपद मधेपुरा बिहार

**गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान -**

**दिनांक**- 22.04.2026

**समय** - 01.10 बजे

**स्थान** - रामपुर चकिया फ्लाई ओवर के पास से

**बरामदगी-**

1. Signature 750 ml की 78 बोतल, Signature 375 ml की 42 बोतल, Signature 180 ml की 83 बोतल व BLENDERS PRIDE की 750 ml की 64 बोतल, BLENDERS PRIDE 375 ml की 46 बोतल कुल 155 लीटर अवैध अँग्रेजी शराब
2. अपराध में प्रयुक्त VOLKSWAGEN VENTO कार

01 शाति अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 01 अदद अबैध पिस्टल बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अंजनी कुमार पाण्डेय कुशल व थाना मधुबन प्रभारी निरीक्षक राजीव सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 21/22-04-2026 की रात्रि में संदिग्धों की चेकिग के दौरान मुखबिर की सूचना ग्राम भटौली पुलिया मार्ग से मु0अ0सं0 119/26 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम सें संबंधित अभियुक्त 01 नफर अभियुक्त पवन कुमार पुत्र हरिकेश प्रसाद निवासी ग्राम खैरानासिर थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र करीब व 23 वर्ष के कब्जे से 01अदद अवैध पिस्टल .32 बोर को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

**अभियुक्त का विवरण –**

1. पवन कुमार पुत्र हरिकेश प्रसाद निवासी ग्राम खैरानासिर थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र करीब व 23 वर्ष

**बरामदगी –**

1. एक अदद पिस्टल 32.बोर

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0सं0 119/26 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम

फेसबुक के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 15000 /- (पंद्रह हजार रुपये ) रुपये थाना मधुबन साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस -

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना मधुबन जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये रिस्तेदार बनकर फेसबुक के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 15000 /- (पन्द्रह हजार रुपये) पीडित लालमोहन यादव निवासी मधुबन थाना मधुबन जनपद मऊ की कुल 15000 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना मधुबन के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।

## लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनुप कुमार, श्रीमान क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में दिनांक 22.04.2026 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान नियमानुसार अभियोंग के मुख्य आरोपी को पिढवल मोड बाजार के पास से मु0अ0स0 115/2026 धारा 87,137(2) बी.एन.एस में वांछित अभियुक्त बलवन्त राजभर पुत्र शैलेश राजभर निवासी ग्राम हाजीपुर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र करीब 19 को गिरफ्तार कर चालान मा0न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-**

1. बलवन्त राजभर पुत्र शैलेश राजभर निवासी ग्राम हाजीपुर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र करीब 19 वर्ष

**पंजीकृत अभियोग-**

1. मु0अ0सं0 115/2026 धारा 87,137(2) बी.एन.एस थाना घोसी

## अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 9999 /- (नौ हजार नौ सौ निन्यानवे ) रुपये थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस -

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 9999 /- (नौ हजार नौ सौ निन्यानवे) पीड़ित त्रिभुवन शर्मा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ की कुल 9999 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना कोतवाली नगर के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम के अन्तर्गत आज दिनांक 22.04.2026 को जनपद मऊ के सनबीम स्कूल में छात्राओं को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा/नारी सम्मान/नारी

स्वावलंबन/महिला कल्याण) के दृष्टिगत किया गया जागरुक। इस दौरान छात्राओ को आत्मरक्षा, साईबर सुरक्षा, तथा सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले अपराधों, महिला सम्बन्धी अपराधों के संबंध में महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं को सुरक्षा सम्बंधी विभिन्न महिला हेल्प लाइन 1090, यूपी-112, हेल्पलाइन नम्बरों 1076 आदि सभी महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं को किसी भी विषम परिस्थिति में तत्काल हेल्पलाइन नम्बरों पर कॉल कर पुलिस को सूचित करने हेतु बताया गया। सभी बालिकाओं/महिलाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने आदि के संबंध में जागरुक किया गया।

**पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 22.04.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-**

इस अभियान के अंतर्गत 41 टीम गठित कर जनपद के 46 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1300 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 235 वाहनों को विभिन्न धारोओ में चालान एवं 09 वाहनों को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

अंजान व्यक्ति द्वारा डबल पैसे का लालच देकर फ्रॉड किये गये 14307 /- (चौदह हजार तीन सौ सात ) रुपये थाना रामपुर साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस -

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना रामपुर जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वारा डबल पैसे का लालच देकर फ्रॉड किये गये 14307 /- (चौदह हजार तीन सौ सात रुपये) पीड़ित विजय कुमार निवासी रामपुर बेलौली थाना रामपुर जनपद मऊ 14307 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना रामपुर के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

**1. आपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 03 दोषसिद्ध अभियुक्तों को 01 वर्ष की साधारण कारावास की सजा व ₹15000 अर्थदंड से हुआ दंडित-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट मऊ द्वारा दिनांक 22-04-2026 को मु0अ0सं0 72/2012 धारा 222,223,224 भादवी थाना जीआरपी जनपद मऊ में दोषसिद्ध अभियुक्तगण 1. कांस्टेबल सुदामा यादव पुत्र स्वर्गीय कैलाश यादव निवासी लालपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर वर्तमान नियुक्ति प्रयागराज 2. कांस्टेबल सुधाकर सिंह पुत्र स्वर्गीय परशुराम सिंह निवासी युवराजपुर जनपद गाजीपुर वर्तमान नियुक्ति फतेपुर 3. कांस्टेबल सूबेदार सिंह पुत्र स्वर्गीय रामदेव सिंह यादव निवासी वैरापुर थाना करंडा जनपद गाजीपुर वर्तमान नियुक्ति थाना चोलापुर जनपद वाराणसी को कारित अपराध के लिए 01 वर्ष की साधारण कारावास की सजा व ₹15000 अर्थदंड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 01 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी राहुल यादव थाना जीआरपी का सराहनीय योगदान रहा।

**2. आपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त ₹1100 अर्थदंड से हुआ दंडित-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत मा0 न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा दिनांक 22-04-2026 को मु0अ0सं0 1717/2010 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ में दोषसिद्ध अभियुक्त आरोपी संजय यादव पुत्र सोमारु यादव निवासी नरेन थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को कारित अपराध के लिए व ₹1100 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।